भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4647

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

तमिलनाडु में खादी संस्थान

4647. श्री अ. मनि:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में खादी उत्पादन के लिए 184 नए खादी संस्थानों को खादी प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु में स्थापित ऐसे खादी संस्थानों की वर्षवार और जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) क्या धर्मपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में या उसके आसपास कोई खादी संस्थान स्थापित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने धर्मपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खादी उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसी पहल के अंतर्गत लक्ष्य तय किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त पहलों के तहत धर्मपुरी क्षेत्र में कारीगरों, बुनकरों और खादी श्रमिकों के लिए योजनाओं और उन्हें दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है;और

(च) सरकार द्वारा धर्मपुरी जैसे पिछड़े जिलों में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के बीच खादी-आधारित रोजगार और उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : जी हाँ, वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान देश-भर में खादी उत्पादन हेतु 184 नए खादी संस्थानों को खादी प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख): वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान तमिलनाडु राज्य में खादी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दो नए खादी संस्थानों का पंजीकरण किया गया है। इनका जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	खादी संस्था का नाम	जिला का नाम	वर्ष
1.	सरदार वल्लभभाई पटेल खादी ट्रस्ट	कुड्डालोर	2021-22
2.	मन्नारगुडी सर्वोदय संगम	तिरुवरुर	2021-22

(ग): धर्मपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खादी संस्थान की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च): खादी क्षेत्र में खादी कारीगरों, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए खादी आधारित रोजगार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु, खादी मार्क और खादी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की दृष्टि से, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया था। सरकार निम्नलिखित सहायता भी प्रदान कर रही है:

(i) केवीआईसी पिछड़े जिलों सहित पूरे देश में विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

(ii) खादी उत्पादक संस्थाओं, खादी कारीगरों और खादी कार्यकर्ताओं को आशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) दी जा रही है, जिससे खादी संस्थानों की कार्य-क्षमता और खादी कारीगरों की आय में वृद्धि होगी।

(iii) वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत खादी कारीगरों को व्यक्तिगत तथा समूह वर्कशेड के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त हो सके।

(iv) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आईएसईसी) खादी उत्पादन के लिए खादी संस्थानों (केआई) की आवश्यकता के अनुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करता है।

****